न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 13/2022

श्री रामेश्वर प्रसाद चौधरी प्रदेशाध्यक्ष युवा किसान महापंचायत राज0 कार्यालय चौपडा ई–मित्र देवली रोड टोंक जिला टोंक ---अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक ---प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 29.04.2022

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 09.03.2022 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई है :–

1 ग्राम सेवारामपुरा जिला टोंक की 599.11 बीधा जमीन आवासन मंडल को दी जा रही है जिसमें 04.02.2012 में मूल कॉपी पर ही जिला कलेक्टर टोंक को केन्द्रीय वित राज्य मंत्री श्री नमोनारायण मीना ने कहा था कि यह सारी जमीन दो फसल की है। हाउसिंग बोड ऐसी जमीन चिन्हित करे जो उपजाउ नहीं है। यह मामला सरकार के पास भेजे। इस पर किस प्रकार की कार्यवाही हुई उसकी सम्पर्ण जानकारी दे।

2 वर्ष 2010 में राज्य सरकार के उपजाउ जमीन का अवाप्त नही करने के आदेश की प्रति।

3 ग्राम सेवारामपुरा जिला टोंक के आराजी खसरा नं0 38, 39, 41की 6 बीधा 7 बीस्वा भूमि अवाप्त मुक्त करने का आदेश की प्रतिलिपि दे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 512 दिनांक 18–04–2022 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक द्वारा पत्र कमांकः आरटीआई/2022/311 दिनांक 25–04–2022 से जवाब प्रेषित किया कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना इस कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/2022/295 दिनांक 07.04.2022 द्वारा भिजवाई गई है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना प्राप्त हो गई है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:15:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते